निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श0)
(सं0 पटना 599) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

indiacode

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
9 जुलाई 2021

एस0 ओ0 **121,** दिनांक 9 जुलाई 2021— बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून, 2021 से, **प्ररूप जीएसटीआर**-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करते हैं:

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस कि राशि को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, माह जून, 2021 से, नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर**-7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये से अधिक है का अधित्यजन किया जाता है ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12)1195)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

9 t ykb 2021

एस० ओ० 121, दिनांक 9 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–12)1195)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 9th July 2021

S.O. 121, dated 9th July 2021— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1195)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 599-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

IndiaCode